बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

सिविल सर्जन नालंदा के ज्ञापांक 2882 दिनांक 2.12.13 प्रतिवेदित किया गया कि डा0 आशुतोष डोकानिया, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सैदपुर, नालंदा दिनांक 24.04.2000 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है, इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई जिसका जवाब प्राप्त नहीं हुआ। डा0 डोकानिया के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0 1488(9) दिनांक 22.12.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। डा0 डोकानिया विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी के समक्ष कभी उपस्थित नहीं हुए और न उनके द्वारा कोई बचाव बयान समर्पित किया गया, जबकि संचालन पदाधिकारी द्वारा उन्हें डाक एवं प्रेस विज्ञप्ति द्वारा सूचित किया गया था। उन्हें भेजा गया पत्र बिना तामिला के लौट आया। इस आधार पर संचालन पदाधिकारी ने डा0 डोकानिया के विरूद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप के प्रमाणित पाया।

विभागीय ज्ञापांक 978(9) दिनांक 20.10.11 के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आरोपित पदाधिकारी से द्वितीय कारणपृच्छा की मांग की गई। उक्त प्रेस विज्ञप्ति द्वारा डा0 डोकानिया के अधिगम की प्रति विभाग से प्राप्त कर 15 दिनों के अंदर अपना अभ्यावेदन निवेदन समर्पित करने का अवसर दिया गया, जो निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी अप्राप्त रहा। तदालोक में डा0 आशुतोष डोकानिया, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैदपुर, नालंदा के विरूद्ध लगातार पॉच वर्षो से अधिक अवधि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के प्रमाणित आरोप के आधार पर सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

इसमें सक्षम प्राधिकार तथा बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1823 दिनांक 05.11.2014 द्वारा आयोग की सहमति प्राप्त है।

आदेशः– संकल्प की प्रति डा0 आशुतोष डोकानिया सहित सभी संबंधितों को भेज दी जाए।

ह0/–
(मनोज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः 9/स्था0-1-38/2012-369(9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 11/05/2015

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय उप– निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पटना प्रमंडल पटना/ सिविल सर्जन, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 आशुतोष डोकानिया, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सैदपुर, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 2,3,5,7,8,10, एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

E/Sankalp folder 2013